राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या–223/2010/अजमेर

हेमराज बैरवा पुत्र श्री कालूराम बैरवा,
निवासी–ग्राम हरवड तहसील सरवाड जिला अजमेर। .....प्रार्थी.

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक,
   द्वितीय, अजमेर।
2. श्रीमती कमला राठौड धर्मपत्नि श्री श्रवणलाल राठौड
जाति जीनगर निवासी गहलोतो की डूंगरी, अजमेर।
3. श्री देवी) पुत्रान श्री सेवाजी, जाति भांबी
4. श्री काना) निवासी ग्राम लोहागल तहसील व
5. श्री अमरा) जिला अजमेर जरिये मु. आम
   श्रीमती नौरती देवी धर्मपत्नी श्री कैलाश
   चंद जाति भांबी निवासी दौराई
   व जिला अजमेर।

.....अप्रार्थीगण.

एकलपीठ
श्री मोहनलाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित : :
श्री समीर अहमद खां
अभिभाषक। .....प्रार्थी की ओर से.

आर.के.अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक .....अप्रार्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 20.01.2016

निर्णय

प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना पत्र विद्वान कलक्टर (मुद्रांक), अजमेर (जिसे आगे **'कलक्टर'** कहा गया है) द्वारा प्रकरण संख्या 309/2008 में पारित निर्णय दिनांक 13.11.2009 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने ग्राम लोहागल तहसील व जिला अजमेर के खसरा नम्बर 983 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा किस्म बारानी एवं खसरा नम्बर 983 मिन रकबा 1 बिस्वा कुल 1 बीघा 17 बिस्वा भूमि अप्रार्थी संख्या 2 से 5 के मुख्तारआम से दिनांक 15.04.2008 को 4,80,000/– रूपये में क्रय कर विक्रय पत्र, उप पंजीयक, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया। उप पंजीयक ने दस्तावेज की मालियत रूपये 9,25,000/– गणना कर मुद्रांक कर/पंजीयन फीस आदि वसूल कर दस्तावेज उसी दिन पंजीयन कर लौटा दिया।

2. उप पंजीयक, अजमेर ने तत्पश्चात सम्पत्ति का मौका निरीक्षण कर प्रश्नगत सम्पत्ति की मालियत रूपये 27,75,000/– मानते हुए दिनांक 26.12.2008 को एक रेफरेन्स कलेक्टर (मुद्रांक) के समक्ष प्रस्तुत किया एवं कमी मुद्रांक/पंजीयन शुल्क वसूलने हेतु निवेदन किया।

लगातार.....2

3. कलक्टर (मुद्रांक) ने प्रकरण संख्या 309/08 दर्ज किया एवं दिनांक 25.10.2009 की दैनिक नवज्योति/राजस्थान पत्रिका में पक्षकारान को सूचना प्रकाशित करना बताकर एक साईक्लोस्टाईल आदेश पारित कर निर्णय दिनांक 13.11.2009 पारित किया। निर्णय में उप पंजीयक द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को यथावत स्वीकार कर कमी मुद्रांक 1,48,000/– रूपये कमी पंजीयन फीस रूपये 15,750/– एवं शास्ति रूपये 100/– कुल 1,63,850/– रूपये प्रार्थी से वसूलने का आदेश दिया गया।

4. प्रार्थी को जब उक्त निर्णय का ज्ञान हुआ तो दिनांक 25.01.2010 को एक प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. मय शपथ पत्र, कलक्टर (मुद्रांक) के समक्ष प्रस्तुत कर एकपक्षीय आदेश निरस्त कर सुनवायी का अवसर चाहा गया। कलक्टर (मुद्रांक) ने उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 10.02.2010 को खारिज कर दिया गया। उक्त दोनों आदेशों से व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गयी।

5. सुनवायी के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 का नाम तर्क किया गया। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री समीर अहमद एवं राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता श्री आर.के.अजमेरा की बहस प्रकरण सुनी गयी। प्रार्थी के अधिवक्ता ने कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा सम्यक सुनवायी का अवसर प्रदान नहीं किये जाने एवं साईक्लोस्टाईल निर्णय पारित करने को विधि विरूद्ध बताते हुए सुनवायी का अवसर प्रदान करने का अनुरोध किया।

राजस्व के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने बहस करते हुए कहा कि चूंकि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगणों को विचाराधीन मुद्रांक प्रकरण की सूचना स्थानीय अखबार दैनिक नवज्योति/राजस्थान पत्रिका के दिनांक 25.10.2009 के अंक में प्रकाशित कर दे दी गयी थी। प्रार्थी जानबूझकर नियत तिथि 13.11.2009 को कलक्टर (मुद्रांक) के समक्ष अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। अतः निर्णय एकपक्षीय नहीं कहा जा सकता। दुसरे उप पंजीयक ने मौका निरीक्षण करने पर पाया कि प्रश्नगत सम्पत्ति के आसपास प्लोटिंग हो रखी थी। आवासीय कॉलोनी काटी जा रही थी। स्वयं प्रार्थी ने विक्रय पत्र के साथ संलग्न चैक लिस्ट के कॉलम संख्या 9 में सम्पत्ति का वर्तमान उपयोग आवासीय बताया है। अतः उप पंजीयक द्वारा नियमानुसार कृषि भूमि की तीन गुना डी.एल.सी. दर से मालियत गणना कर कमी मुद्रांक हेतु रेफरेन्स प्रस्तुत किया।

अतः निगरानी प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जावे।

लगातार.....3

6. हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं रेकार्ड का अवलोकन किया। कलक्टर (मुद्रांक) के न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 26.12.2008 को प्रकरण दर्ज किया गया एवं नोटिस आदि जारी करने के साथ आगामी तिथि 20.01.2009 नियत की गयी। पत्रावली में केवल प्रार्थी के नाम जारी नोटिस की लाल रंग की कार्यालय प्रति संलग्न है जिसमें आगामी नियत तिथि का कॉलम रिक्त है तथा जारी करने वाले अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर भी नहीं है। नोटिस डाक से भेजा या तहसील के माध्यम से, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। आदेशिका में नियत तिथि 20.01.2009 के पश्चात सीधे 10 माह की लम्बी तारीख दी गयी एवं दिनांक 13.11.2009 को एक छपे छपाये प्रपत्र पर कॉलम भर कर निर्णय पारित कर दिया गया। उस दैनिक समाचार पत्र दिनांक 25.10.2009 की प्रति भी पत्रावली में संलग्न नहीं है जिसमें प्रार्थी/अप्रार्थीगण को सूचनार्थ प्रकाशन करवाना अंकित किया गया है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा न तो प्रार्थी को विधिवत नोटिस दिया गया, न ही उप पंजीयक के रेफरेन्स पर स्वयं का दिमाग लगाया गया। एक छपे—छपाये प्रपत्र पर रिक्त कॉलम भरकर प्रकरण निस्तारण की संख्या में वृद्धि दर्शाने का प्रयास मात्र किया गया है। कलक्टर (मुद्रांक) अजमेर का निर्णय दिनांक 13.11.2009 एकपक्षीय, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत एवं विधिक प्रक्रिया का उल्लंघन कर बिना विवेक के पारित होने के कारण अपास्त किया जाकर प्रकरण पुनः सुनवायी हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है।

प्रार्थी दिनांक 22.02.2016 तक कलक्टर (मुद्रांक) अजमेर के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखे एवं कलक्टर (मुद्रांक) प्रकरण को दो माह में गुणावगुण के आधार पर निस्तारित करे।

निर्णय सुनाया गया।

20/1/16

(मोहनलाल नेहरा)
सदस्य